



Neutral Citation No. – 2026:AHC:167463

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 27919 वर्ष 2026

संदीप कुमार तिवारी

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता : राकेश कुमार मिश्रा, सुमित कुमार गुप्ता

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या – 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक राजस्व विभाग में कानूनगो के पद पर कार्यरत है और आरोप है कि भूमि की पैमाइश के प्रयोजन से 15,000/- रुपये की मांग की गई थी, जिसे 10,000/- रुपये में तय किया गया। तत्पश्चात, ट्रैप टीम गठित की गई और आवेदक के कहने पर सह-अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद से 10,000/- रुपये की धनराशि बरामद की गई। प्रस्तुत किया गया कि आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। अधिकतम निर्धारित दंड सात वर्ष है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 15.5.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य का खंडन नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के ऐसे किसी आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त को दर्शाने वाला कोई तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की, जिसके कारण आवेदक जमानत का अधिकारी न हो।

6. यह राज्य का मामला नहीं है कि यदि अभियुक्त-आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न किए जाने की संभावना है। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक का चरित्र ऐसा है कि उसकी खुले में मात्र उपस्थिति से साक्षियों को भयभीत किया जा सकता है अथवा ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय के मार्ग को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त का निरुद्धीकरण दंडात्मक प्रकृति का नहीं हो सकता, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा होती है। विद्वान ए.जी.ए. ने ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं की हैं, जिससे यह प्रदर्शित हो कि अभियुक्त-आवेदक का चरित्र ऐसा है कि उसकी खुले में मात्र उपस्थिति से साक्षी भयभीत होगा।

8. विद्वान ए.जी.ए. ने साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई युक्तिसंगत आशंका प्रस्तुत नहीं की है और न ही यह प्रदर्शित किया है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में व्यापक जनहित/राज्यहित संकट में पड़ जाएगा।

9. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

10. प्रतिपक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना जनहित अथवा व्यापक समाज के हित में नहीं है।

11. ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक के फरार होने का जोखिम है, उसके द्वारा अपराध दोहराए जाने की संभावना है अथवा जमानत पर रिहा किए जाने पर वह साक्षी को भयभीत करेगा।

12. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए अपना मामला स्थापित किया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

13. आवेदक **संदीप कुमार तिवारी**, जो केस क्राइम संख्या 05 वर्ष 2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, थाना एंटी करप्शन झांसी, जनपद ए.सी.ओ. यू.पी., झांसी में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:—

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकी नहीं देगा।
- iii. आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/या जब भी आवश्यक हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक उस अपराध के समान अपराध कारित नहीं करेगा, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते के संबंध में लिखित रूप से सूचित करेगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

11 अगस्त, 2026

डी. तमांग

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”